भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1618
दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

चिकित्सा उपकरणों के लिए आयात पर निर्भरता

1618. श्री नीरज डांगीः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश चिकित्सा उपकरणों के लिए आयात पर निर्भर है;
(ख) यदि हां, तो भारत किन-किन देशों से चिकित्सीय उपकरणों का आयात करता है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा उपकरणों के आयात में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है;
(घ) क्या सरकार चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन के लिए किसी प्रकार का केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रही है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): भारत चिकित्सा उपकरणों का निर्यात और आयात दोनों करता है। पिछले तीन वर्षों में आयात का सीएजीआर -2.08% रहा है और पिछले तीन वर्षों में निर्यात का सीएजीआर 13.8% रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित और निर्यातित चिकित्सा उपकरणों के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

आयात			निर्यात		
2021-22	2022-23	2023-24	2021-22	2022-23	2023-24
8540	7492	8188	2923	3391	3785

स्रोत: डीजीसीआईएस, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

पिछले तीन वर्षों में प्रमुख देशों से आयातित चिकित्सा उपकरणों के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

प्रमुख देश	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**
यूएसए	1464.73	1418	1519
चीन	1657.67	1246.82	1332
जर्मनी	782.35	797.49	908
नीदरलैंड	398	416	460
जापान	343.08	321.77	372

स्रोत: डीजीसीआईएस, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(घ) और (ङ): चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन के लिए किसी भी प्रकार का केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत सरकार ने आयात निर्भरता को कम करने, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रमुख योजनाबद्ध कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

(i) चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई एमडी): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से दिनांक 20.03.2020 को प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस योजना का कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2027-28 तक है, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 3,420 करोड़ रुपये है। यह योजना भारत में विनिर्मित और योजना के चार लक्षित खंडों के अंतर्गत आने वाले चिकित्सा उपकरणों की वृद्धिशील बिक्री पर 5% की दर से चयनित कंपनियों को पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस योजना के तहत 32 आवेदकों का चयन किया गया है। इस योजना के तहत आवेदकों द्वारा सितंबर, 2024 तक की गई संचयी बिक्री 8039.63 करोड़ रुपये है (जिसमें 3,844.01 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है)।

(ii) चिकित्सा उपकरण पार्क संवर्धन योजना: पार्कों में स्थित चिकित्सा उपकरण इकाइयों को विश्व स्तरीय साझा बुनियादी ढांचा सुविधाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए 20 मार्च, 2020 को "चिकित्सा उपकरण पार्क संवर्धन" की योजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 400 करोड़ रुपये है और कार्यान्वयन अवधि वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2024-2025 तक है। इस योजना के अंतर्गत, विभाग को 16 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश

और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को इन चार राज्यों में प्रस्तावित चिकित्सा उपकरण पार्कों में साझी बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विनिर्माण के लिए अंतिम मंजूरी दे दी गई।

(iii) चिकित्सा उपकरण उद्योग के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना

चिकित्सा उपकरण उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने के लिए, जिसमें प्रमुख घटकों और सहायक उपकरणों का विनिर्माण, कौशल विकास, नैदानिक अध्ययनों के लिए सहायता, साझा बुनियादी ढांचे का विकास और उद्योग का संवर्धन शामिल है, दिनांक 08.11.2024 को 500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ पांच उप-योजनाओं के साथ "**चिकित्सा उपकरण उद्योग का सुदृढ़ीकरण**" नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना की उप-योजना इस प्रकार है:-

(i) चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों के लिए साझा सुविधाएं
(ii) आयात निर्भरता कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना
(iii) चिकित्सा उपकरणों के लिए क्षमता विनिर्माण और कौशल विकास
(iv) चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना
(v) चिकित्सा उपकरण संवर्धन योजना

*****